

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/स्थापना/ख/विविध/ 29/ 2035
प्रति

भोपाल 31/10/2025

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय -----(समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग -----(समस्त)
3. अध्यक्ष/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
-----जिला-----
4. शाखा प्रबंधक,
म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय टी. टी. नगर भोपाल ।

विषय:- म. प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के
पेंशनरों को पेंशन मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:- म. प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/
2025/नियम/चार दिनांक 15 अक्टूबर 2025
म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अपने जाप क्रमांक एफ 9-2/
2025/नियम/चार दिनांक 15 अक्टूबर 2025 से पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत
की गई है। (इसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।)

अतः म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/
2025/नियम/चार दिनांक 15 अक्टूबर 2025 में उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन
राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी(समिति सेवा के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को
भी निम्नानुसार मंहगाई राहत भुगतान की स्वीकृति दी जाती है:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात संशोधित मंहगाई राहत की कुल दर	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 सितम्बर, 2025 से (माह सितम्बर, 2025 की पेंशन/ परिवार पेंशन जो अक्टूबर, 2025 में देय होगी)	06 प्रतिशत	02 प्रतिशत	252 प्रतिशत	55 प्रतिशत

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक(कार्मिक)
म प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि:-

- 01 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर।
- 02 अपर संचालक (वित्त) मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 03 उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
- 04 उप संचालक(वित्त)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी(पेंशन)मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 05 आडिट/पेंशन/मंडी कार्मिक/लेखा शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

उप संचालक(कार्मिक)
म प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल